

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 125/2022

उनवान

1. जिया पत्नि छगना,
2. प्रेम पत्नि काना,
3. प्रहलाद पुत्र रामधन,
4. रामदेव पुत्र काना,
5. रामलाल पुत्र काना,
6. रामस्वरूप पुत्र हजारी,
7. संतोक पत्नि रामधन,
8. सुरेन्द्र पुत्र रामधन समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम मोडी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कानी पत्नि मांगू,
2. जगदीश पुत्र मांगू,
3. जयसिंह पुत्र मांगू,
4. प्रभू पुत्र गोपाल,
5. मोहन पुत्र गोपाल,
6. सोदान पुत्र गोपाल,
7. सरजू पत्नि गोपाल,
8. सोहन पुत्र गोपाल,
9. नारायण पुत्र रामनाथ,
10. रमेश पुत्र रामनाथ,
11. परमेश पुत्र रामनाथ,
12. सांवरा पुत्र रामनाथ,
13. शिवराज पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोडी तहसील नसीराबाद,
14. मैनेजर, बैंक आफ बडोदा शाखा बीर तहसील नसीराबाद,
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

— प्रतिवादीगण :- 1 से 14 अनुपस्थित
15 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

:- निर्णय :-

दिनांक :- 6/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी के खाता संख्या 37/69 किता 6 रकबा 0.19, 38/35 किता 15 रकबा 3.25 व 206/187 किता 9 रकबा 2.29 की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते हैं। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम मोडी के खाता संख्या 37/69 किता 6 रकबा 0.19, 38/35 किता 15 रकबा 3.25 व 206/187 किता 9 रकबा 2.29 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई भीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इक्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जिया बनाम कानी


दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 125/2022

पेश करने की दिनांक - 29.08.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक, राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम मोडी के खाता संख्या 37/69 किता 6 रकबा 0.19, 38/35 किता 15 रकबा 3.25 व 206/187 किता 9 रकबा 2.29 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक करे अदा करे।

दअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
दावत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
दावत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

गिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद